



Neutral Citation No. - 2026:AHC:26277

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - ए संख्या - 1737/2026

कल्याणी सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: देशराज गर्ग

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय विकास बुधवार, न्यायमूर्ति

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री देशराज गर्ग का संक्षिप्त विवरण (AoR No.0214/12) प्रस्तुत करने वाले श्री वी.के. मिश्रा और राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि रिट याचिकाकर्ता के पति, स्वर्गीय शिव सिंह, विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बांदा के कार्यालय में प्रधान लिपिक के रूप में कार्यरत थे, जो 31.03.2010 को सेवानिवृत्त हुए और 02.09.2022 को उनका निधन हो गया। रिट याचिकाकर्ता के अनुसार, रिट याचिकाकर्ता 16 और 26 वर्ष की सेवा पूरी करने पर ए.सी.पी., जी.पी.एफ., पारिवारिक पेंशन आदि की हकदार हैं।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने तर्क दिया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना आवश्यक है।
4. अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार करते हुए, रिट याचिकाकर्ता को रिट याचिका की स्व-प्रमाणित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ प्रत्यर्थी संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने का निर्देश देते हुए रिट याचिका निस्तारित की जाती है, जो उक्त आवेदन पर आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर कानून के अनुसार सख्ती से रिट याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने की कार्यवाही करेंगे। यदि प्रत्यर्थी संख्या 2 यह पाते हैं कि रिट याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाना है, तो रिट याचिकाकर्ता को उचित सूचना देने के पश्चात दस्तावेज उस प्राधिकारी को भेज दिए जाएंगे।

(विकास बुधवार, न्यायमूर्ति)

6 फरवरी, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



एन.एस. राठौर

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"